



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, गाजियाबाद
डासना फाटक रेलवे पुल के नीचे

Letter No: 63/1c

Date: 10/01/22

सेवामें,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर, उ0प्र0

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय रामजमार्ग (एन0एच0-334ए) लक्सर-पुरकाजी कि0मी0 0.000 से कि0मी0 15.089 के चौड़ीकरण हेतु 0.21 हे0 संरक्षित वन भूमि के वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

1. इस कार्यालय का पत्रांक संख्या 595/IC दिनांक 11.08.2021
2. आपका पत्रांक संख्या 2429/14-1 (FP/UP/Road/40150/2020) दिनांक 20.12.2021
3. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-8 बी0/यू0पी0/06/24/2021/एफ0सी0/1269 दिनांक 24.02.2021।

महोदय,

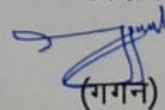
कृपया उपयुक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा निम्न लिखित कमियों/अभिलेखों का बिन्दु वार निराकरण इस प्रकार है।

1	आपत्ति क्रमांक-2 जिसमें कम्पोनेंट वाईस ब्रेकअप की अपेक्षा की गयी थी कम्पोनेंट वाईस ब्रेकअप संलग्न नहीं है।	कम्पोनेंट वाईस ब्रेकअप की अपेक्षा की गयी थी कम्पोनेंट वाईस ब्रेकअप संलग्न कर दिया गया है।
2	आपत्ति क्रमांक-4 जिसमें रेक्टिफाईड के0एम0एल0 की अपेक्षा की गयी है सी0डी0 उपलब्ध नहीं है।	रेक्टिफाईड के0एम0एल0 की अपेक्षा की गयी है सी0डी0 उपलब्ध कर दिया गया है।
3	आपत्ति क्रमांक-5 जिसमें जीओ रेफ्ररेंस मैप के अनुसार के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 उपलब्ध नहीं है।	जीओ रेफ्ररेंस मैप के अनुसार के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 उपलब्ध कर दिया गया है।

अतः अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आपके कार्यालय में दिनांक 28.12.2021 को उपस्थित होकर उपरोक्त बिन्दुनुसार आपत्तियों का निस्तारण करा दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में तत्काल अग्रतः कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक उपरोक्ता नुसार।

भवदीय


(गगन)

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
गाजियाबाद